न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(26)

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 1051–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.2.14 एवं 22.3.14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, दतिया प्रकरण कमांक 96/2012–13/अपील.

———

आनन्द उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र श्री रामस्वरूप राय,
निवासी कुडराया, तहसील व
जिला दतिया म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– मुकेश नारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण सक्सैना
1/18 जुलू समीप को–आपरेटिव
हाउसिंग सोसायटी, न्यू डी एन नगर
के समीप अंधेरी वेस्ट, मुम्बई

हाल निवास बसंत कुंज, नई दिल्ली

2– दीपक कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप राय
निवासी कुडराया तहसील व
जिला दतिया म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री एस. के. अवस्थी, अधिवक्ता, अनावेदक क. 1.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/3/15 को पारित)

.....

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 96/2012–13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12–2–14 एवं 22–3–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी अनावेदक क. 1 है । उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार द्वारा दिया गया था । अनावेदक कं. 1 ने उक्त कब्जे को काटने हेतु

आवेदन तहसीलदार, दतिया के समक्ष पेश किया जिस पर से तहसीलदार ने आवेदक से जबाव चाहा गया, जिसका जबाव आवेदक द्वारा पेश किया तदुपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 11–6–13 द्वारा यह मानकर कि अनावेदक क. 1 के स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 2004–05 में दीपक कुमार, आनंद कुमार के नाम अंकित हैं इसमें किसी प्र0क0 का हवाला नहीं हैं पटवारी द्वारा उक्त प्रविष्टि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई है अतः उन्होंने उक्त प्रविष्टियां निरस्त कीं । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसमे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से लिखित बहस पेश की गई है । लिखित बहस में आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हें कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध एवं अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल हैं । विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना एवं सुनवाई तथा साक्ष्य का अवसर दिए आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक क. 1 मुकेश नारायण सक्सैना की ओर से मुख्त्यारनामा के तहत अरविंद श्रीवास्तव प्रकरण में उपस्थित होता आ रहा है, किंतु उक्त मुख्त्यारनामा 3 वर्ष पुराना है जबकि एक वर्ष के लिए मुख्त्यारनामा लेख किया जाता है । अनावेदक क. 1 जीवित हैं या नहीं यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 12.2.14 को प्रकरण में पक्षकारों के कुसंयोयजन का दोष होने के संबंध में आपत्ति की गई थी जिस कारण अपील निरस्त किया जावे जिसे स्वीकार किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि मुख्त्यारनामे में जो पता लेख किया है उस पते पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचाराधीन दौरान पंजीकृत पत्र भेजा गया था जिस पर यह लेख कि कि उक्त पते पर उपरोक्त नाम का व्यक्ति निवास नहीं करता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा रही है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक अधिवक्ता को 7 दिवस में लिखित तर्क पेश करने हेतु समय दिया गया था किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12–2–14 तथा आदेश दिनांक 22–3–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । दिनांक 12–2–14 के आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है जिस पर विचार किया जा सके । आदेश दिनांक 22–3–14 में अनुविभागीय अधिकारी ने Respondent के आवेदन को उचित होने से आंशिक स्वीकार किया है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि Respondent का कौन सा आवेदन तथा कौन से बिन्दु और क्यों स्वीकार किए गए है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22–3–14 निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं िकवह इस संबंध में बोलता हुआ आदेश उभयपक्ष को सुनकर पारित करें । उभयपक्ष उनके द्वारा जो तर्क यहां उठाए गए हैं उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्र हैं । उन पर विचार इस निगरानी में उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक नहीं हैं ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर